

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2021

मात्र 03 दिन में हत्या की घटना का सफल अनावरण

इट्टावा पुलिस द्वारा पैसों के लालच में आकर व्यक्ति की हत्या करने वाले 03 वांछित अभियुक्तों (01 महिला, 02 व्यक्ति) को किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ बृजेश कुमार सिंह के दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नगर इट्टावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में एसओजी टीम एवं थाना बढपुरा पुलिस टीम द्वारा पैसों के लालच में आकर व्यक्ति की हत्या करने वाले 03 वांछित अभियुक्तों (01 महिला, 02 व्यक्ति) को किया गिरफ्तार।

घटना एवं गिरफ्तारी की संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.05.2021 थाना बढपुरा के अन्तर्गत ग्राम अनारी के कच्चे रास्ते पर स्कूटी से दबे अज्ञात मृत व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुयी । इस सूचना पर उच्चाधिकारियों एवं थाना बढपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुच कर शव की कब्जे में लेकर पंचायनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । घटना स्थल मिली स्कूटी के चैचिस नम्बर से मृतक की शिनाख्त हरविलाश भण्डारी पुत्र सामान्दाराम भण्डारी निवासी 5/436 रामनगर शहगंज आगरा के रुप मे हुयी जिसकी सूचना संबंधित थाने पर देकर उसके परिजनों को अवगत कराया गया । मृतक के पुत्र द्वारा शव की शिनाख्त अपने पिता के रुप में की गयी एवं बताया कि दिनांक 18.05.2021 को वह घर से किसी काम की कह कर निकले थे जो कि अक्सर काम के सिलसिले में जाया करते थे। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना बढपुरा पर मु0अ0स0 48/2021 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इट्टावा द्वारा हत्या की घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी एवं थाना बढपुरा से पुलिस टीमों का गठन किया गया । पुलिस टीम द्वारा इलैक्ट्रोनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर ताबडतोड कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी ।

आज दिनांक 26.05.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एक अर्धेड उम्र के व्यक्ति की हत्या करने वाले घटना में सम्मिलित 03 अभियुक्तों को उधन्ना पुरा गाँव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस पूछताछ- पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा मृतक हरिविलास से कुछ पैसे उधार लिए थे जिनको वापस करने के लिए हरिविलास द्वारा बार- बार मांग की जा रही थी दिनांक 18.05.2021 को उसे आगरा से गाँव सुरेखीपुरा थाना पछायगांव में बुलाकर दिनांक 22.05.2021 को दोपहर के समय योजनाबद्ध तरीके से उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी तथा मृतक पास से रखे तीस हजार को ले लिया गया । मृतक को उसी की स्कूटी पर रखकर उसे कृष्णा

नगर से अवारी जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्कूटी सहित छोड़ दिया गया एवं पुलिस से बचने हेतु सबूत मिटाने के लिए उसके कपड़े, जूते, मोबाइल को जला दिया गया तथा स्कूटी की नम्बर प्लेट को जला कर मिट्टी में दबा दिया था एवं अभियुक्तों के कब्जे से मृतक 17300 रुपए बरामद किए गए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बढपुरा पर पंजीकृत अभियोग 48/21 में मृतक की धनराशि की बरामदगी होने पर धारा 404,411 की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी रविन्द्र जाटव निवासी सुरेखीपुरा थाना पछायगांव जनपद इटावा
2. रविन्द्र जाटव उर्फ अरविन्द पुत्र लखपति निवासी उपरोक्त
3. सोनू जाटव पुत्र जंगलिया राम जाटव निवासी नरीपुरा थाना शाहगंज जनपद आगरा।

बरामदगी-

1. 17300 नगद
2. मृतक के मोबाइल के जले हुए अवशेष
3. स्कूटी की टूटी एवं जली हुयी नम्बर प्लेट

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 48/2021 धारा 302,201,404,411 भादवि

पुलिस टीम- प्रथम टीम- श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी एसओजी मय टीम, श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम

द्वितीय टीम- श्री मुकेश बाबू चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना बढपुरा मय टीम

सोशल मीडिया सेल
जनपद इटावा